~~203~~ 194

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/611 जसपाल सिंह V/S बलबीर सिंह वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.2024	पत्रावली आज न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/1/2025 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
2/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण को इसी स्तर पर नोट प्रेस में खारिज किये जाने का कथन करते हुये न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा पत्रावली की आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित कर दिया गया है इसलिये यह अपील आगे चलाया जाना अब संभव नहीं है। किन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार कश्मीर सिंह द्वारा अपने आप को जगतार सिंह जाहिर करते हुये सनद प्राप्त किया जाना अंकित किया है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त सनद गलत नाम से जारी होने के कारण, सनद जारी करने की दिनांक से ही (प्रारम्भ से ही) शून्य है। अत: तहसीलदार तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की गहन जांच कर यदि सनद जांच पश्चात प्रारम्भ से ही शून्य होना पुष्ट होने पर विवादित आराजीयात को राजकीय घोषित कर सार्वजनिक उपयोग में लेने हेतु कार्यवाही यथासम्भव सुनिश्चित करें। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अपीलान्ट द्वारा अपील नोट प्रेस किये जाने के कारण अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार तिजारा को पृथक से तहरीर पालनार्थ जारी हो तथा जिला कलक्टर खैरथल तिजारा को तहरीर की प्रति पर्यवेक्षणार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	Not Press Dinesh Yadav Advocate 02-1-2025